



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2025 / 24

दर्ज तिथि:-16.01.2025

वादी		प्रतिवादी
बाबुराम पुत्र वरजांगाराम वगैरह	बनाम	तहसीलदार गुढामालानी वगैरह
जरिये अधिवक्ता श्री हरिराम विश्नोई		जरिये राज पैरोकार एवं अधिवक्ता श्री जगदीश विश्नोई

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश-09 नियम-04
सिविल प्रक्रिया संहिता-1908
निर्णय तिथि:-17.03.2025

-निर्णय:-

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना-पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-09 नियम-04 के अन्तर्गत बाबत् निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृत्तान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी ने सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-09 नियम-04 के तहत हाजा न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र का विवरण निम्न प्रकार है:-

- कि हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 23.12.2024 को उक्त पत्रावली पर सुनवाई की तिथि प्रार्थना-पत्र आदेश-01 नियम-10 के जवाब वादीगण हेतु नियत की गई। लेकिन दिनांक 23.12.2024 को प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में उक्त पत्रावली अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज कर दी गई।
- कि दिनांक 23.12.2024 को वादीगण अधिवक्ता बाड़मेर मुख्यालय पर अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण एवं वादीगण अपने खेती के कार्यों में व्यस्त होने के कारण नियत तिथि को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। साथ ही प्रकरण आदेश-01 नियम-10 के जवाब में नियत होने के कारण अधिवक्ता वादी को उपस्थित होने के निर्देश नहीं थे। वर्तमान में उक्त पत्रावली का गुणवागुण पर निर्णय नहीं होने से प्रार्थीगण न्याय से वंचित रहेंगे। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त पत्रावली को पुनः सुनवाई हेतु रखा जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय होकर सीधे बहस का निवेदन किया गया। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने जिरह प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि वादीगण अधिवक्ता बाड़मेर मुख्यालय पर अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण एवं वादीगण अपने खेती के कार्यों में व्यस्त होने के कारण नियत तिथि को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। साथ ही प्रकरण आदेश-01 नियम-10 के जवाब में नियत होने के कारण अधिवक्ता वादी को उपस्थित होने के निर्देश नहीं थे। वर्तमान

में उक्त पत्रावली का गुणवागुण पर निर्णय नहीं होने से प्रार्थीगण न्याय से वंचित रहेंगे। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त पत्रावली को पुनः सुनवाई हेतु रखा जावे। दौरान-ए-जिरह अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया गया।

3. प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-09 नियम-04 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र की जांच व विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा सुनवाई की तिथि के दिन प्रार्थी अधिवक्ता के बाड़मेर मुख्यालय पर आवश्यक कार्य होने एवं प्रार्थीगण के ग्रामीण परिवेश के होने के कारण खेती कार्यों में व्यस्त होने को आधार बताते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-09 नियम-04 के तहत दिनांक 23.12.2024 को मूल दावा के अदम पैरवी में खारिज किये जाने को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई पर लेने बाबत् उक्त प्रार्थना-पत्र दिनांक 16.01.2025 को प्रस्तुत किया है।
4. प्रकरण में सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.12.2024 को मूल दावा के अदम पैरवी में खारिज किये जाने को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई पर लेने बाबत् पक्षकार के द्वारा अपनाये गये आचरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। दिनांक 23.12.2024 को प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में उक्त पत्रावली अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज कर दी गई। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत आदेश-09 नियम-04 वास्ते दिनांक 23.12.2024 को की गई अदम पैरवी को निरस्त करने का दिनांक 16.01.2025 को करीब 22 दिन की अवधि के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी को प्रकरण की जानकारी होने के उपरांत प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना-पत्र करीब 22 दिन की लघु अवधि के पश्चात् पेश करना प्रार्थी के त्वरित व संवेदनशील आचरण को स्पष्ट करता है। अब प्रकरण में प्रार्थी को सुनवाई की तिथि के संबंध में जानकारी नहीं होने के कारण प्रकरण का पर्याप्त कारण के संबंध में विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।
5. प्रकरण में सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.12.2024 को मूल दावा के अदम पैरवी में खारिज किये जाने को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई पर लेने बाबत् प्रस्तुत पर्याप्त कारण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। विचारण न्यायालय में दावा प्रस्तुत करने के पश्चात् पक्षकार का अधिवक्ता ही प्रकरण में पैरवी करते हैं तथा स्वयं पक्षकार की व्यक्तिगत उपस्थिति को अपरिहार्य नहीं माना जाता है। ग्रामीण पृष्ठभूमि के पक्षकार अधिवक्ता के संवाद स्थापित कर अपने न्यायिक प्रकरण की जानकारी अपनी सुविधा अनुसार प्राप्त करते रहते हैं। न्यायालय में विचाराधीन कार्यवाही पर किसी सुनवाई की तिथि पर अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। उक्त एकतरफा कार्यवाही की सूचना पक्षकार तक बहुत धीमी या किसी आकस्मिक तरीके से पहुंचती है। किसी न्यायालय में अधिवक्ता की तरफ से पैरवी में खामी का खामियाजा पक्षकार को नहीं देने बाबत् विधि का सुमान्य सिद्धांत है। अतः न्यायालय को किसी महत्वपूर्ण विवाद के प्रश्न को बिना गुणवागुण कर निर्णित किये केवल प्रक्रियात्मक कमी की वजह से न्यायालय से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। यहां स्थिति इस प्रकार है कि दावा अभी शुरूआती चरण में है। प्रतिवादी को वादी के दावे के खण्डन हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे। अतः वादी के दावा को पुनः सुनवाई पर लेने से प्रतिवादी को अपूर्णनीय क्षति होना प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को न्यायहित में गुणवागुण पर निर्णित करने हेतु सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु सहमत है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के
आदेश-09 नियम-04 के तहत प्रस्तुत
प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर मूल
प्रार्थना-पत्र पर अदम पैरवी में खारिज करने
की गई कार्यवाही को निरस्त करते हुए पुनः
सुनवाई पर लिया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.03.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त
जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुड़ामालानी-बाड़मेर

